

सत्र प्रकरण क्रमांक- 10/2026 शासन -प्रति- केवल सिंह

II - 157
C.J.

Witness No. **08** For **अभियोजन साक्षी** Deposition taken the
10-07-2026 Day of **शुक्रवार** Witness Apparent Age **33** Year's
States On Affirmation **शपथ-पूर्वक** My Name is **उर्मिला**
S./W./D. of **पति-मूलचंद** Occupation **कृषि**
Address :- **ग्राम-तिवरागुडी, थाना-सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ०ग०)**

समय: 03.25 PM

आरोपी न्यायिक अभिरक्षा से पेश नहीं, आरोपी को विडियो कांफ्रेंसिंग से जोडकर उनकी उपस्थिति में मुख्य परीक्षण आरंभ किया गया ।

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री गोविंद सिंह, अपर लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन:-

01. मैं न्यायालय अनुपस्थित आरोपी केवल सिंह को जानती पहचानती हूँ। वह मेरा भाई है तथा मृतिका रनिया बाई मेरी भाभी लगती थी।

02. मैं घटना के बारे में कुछ नहीं जानती हू। मेरा मायका लांछा में है और मैं तिवरागुडी ससुराल गयी हूँ। मृतिका रनिया बाई की मृत्यु पश्चात मुझे मायका लांछा से फोन आया था कि रनिया बाई की मृत्यु हो गयी है सूचना पाकर मैं ग्राम लांछा आयी थी। रनिया बाई अपने घर में मृत पडी थी, पुलिस वाले शव पंचनामा हेतु नोटिस में हस्ताक्षर करवाये थे नोटिस प्र०पी० 06 एवं नक्शा पंचायतनामा प्र०पी० 07 है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री सी० एल० विश्वकर्मा (LADC) अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त:-

03. यह कहना सही है कि मुझे शव पंचनामा कार्यवाही में मौजूद होने के लिए प्र०पी० 06 का नोटिस नहीं दिये थे। यह कहना सही है कि मैं शव को नहीं देखी हू। यह

सत्र प्रकरण क्रमांक- 10/2026 शासन -प्रति- केवल सिंह

कहना सही है कि मैंने प्र०पी० 06 एवं 07 के दस्तावेजों पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दी हूँ ।

समय: 03:50 PM

गवाह को पढ़कर सुनाया गया ।
सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया ।

(सुमित कुमार हर्षयाना)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

(सुमित कुमार हर्षयाना)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

हस्ताक्षर